राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 5011/2024

प्रशांत पुत्र श्री कृष्ण लाल, उम्र लगभग 35 वर्ष, 7-सी-30 जवाहर नगर, इंदिरा वाटिका के पास, श्री गंगानगर (राज.)

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से
2. चंचल पत्नी श्री प्रशांत, पुत्री श्री लक्ष्मीनारायण, निवासी ओल्ड सुबोध मंडल स्कूल के पीछे, सुभाषपुरा, लालगढ़, बीकानेर (राज.)
3. गुंजन पुत्री श्री प्रशांत, अपनी स्वाभाविक संरक्षक मां चंचल के माध्यम से, निवासी ओल्ड सुबोध के पीछे मांडल स्कूल, सुभाषपुरा, लालगढ़, बीकानेर (राज.)

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री अभिषेक अग्रवाल
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री एस.एस. राजपुरोहित, पी.पी.

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>01/08/2024</u>

1. विद्वान पारिवारिक न्यायालय संख्या 1, बीकानेर द्वारा पारित दिनांक 03.07.2024 के आदेश से व्यथित होकर, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 2-पत्नी को 8,000/- रुपए तथा प्रतिवादी संख्या 3-पुत्री को 5,000/- रुपए, कुल 13,000/- रुपए अंतरिम भरण-पोषण के रूप में दिए गए हैं, प्रतिवादी संख्या 2 के पति ने इस आदेश का विरोध करते हुए इस न्यायालय में याचिका दायर की है।

2. संक्षेप में, मामले के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं: प्रतिवादी (पत्नी) का विवाह याचिकाकर्ता (पति) से 07.12.2019 को हुआ था। उनके विवाह से एक पुत्री - गुंजन, प्रतिवादी संख्या 3 का जन्म हुआ। दम्पति के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। विवाह टूटने के बाद, दोनों पक्ष अलग हो गए तथा नाबालिग पुत्री (प्रतिवादी संख्या

3) वर्तमान में पत्नी के संरक्षण में है। यह पता चला है कि पत्नी ने भी आईपीसी की धारा 498-ए और 406 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। विद्वान पारिवारिक न्यायालय संख्या 1, बीकानेर द्वारा पारित दिनांक 03.07.2024 के आदेश के अनुसार, पत्नी और बेटी को अंतरिम भरण-पोषण प्रदान किया गया है।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और मामले की फाइल की समीक्षा की है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि पत्नी (प्रतिवादी संख्या 2) एक झगड़ालू महिला है। उसके पास 5,86,625/- रुपये के गहने और 4,75,000/- रुपये का बैंक जमा है। प्रतिवादी संख्या 2 एम.कॉम पास है और कमाने में सक्षम है। इसलिए, आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

5. मामले की तथ्यात्मक कथा से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पत्नी परिस्थितियों के कारण अलग रह रही है, न कि अपनी इच्छा से। ऐसी स्थिति में, इसलिए यह आवश्यक है कि याचिकाकर्ता पिता और पति होने के नाते अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चे का भरण-पोषण करने की अपनी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी का पालन करे, न कि अलगाव का फायदा उठाकर उन्हें छोड़ दे।

6. विद्वान पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश इस तर्क पर आधारित है कि यह स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, जिसकी नाबालिग बेटी की कस्टडी है और उसकी अपनी कोई आय नहीं है, वह पूरी तरह से अपने पति पर निर्भर है। विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने नोट किया कि याचिकाकर्ता का मामला यह है कि प्रतिवादी ने न्यायालय से 4,75,000 रुपये का बैंक जमा विवरण और अपना आयकर रिटर्न छुपाया है। हालांकि, केवल यही भरण-पोषण से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता। भले ही यह मान लिया जाए कि 2021 में प्रतिवादी के बैंक खाते में उसके पति और ससुर द्वारा 4,75,000 रुपये जमा किए गए थे, फिर भी 2022 में दाखिल भरण-पोषण के आवेदन को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने नोट किया कि प्रतिवादी संख्या 2, चंचल का दावा है कि यह राशि उसके पति और ससुर द्वारा जमा किए जाने के तुरंत बाद निकाल ली गई थी, जिसकी पुष्टि उसके बैंक स्टेटमेंट से होती है। फिर भी, इस स्तर पर यह निर्णायक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि यह राशि किसने और किस इरादे से जमा की, खासकर तब जब इसे तुरंत बाद निकाल लिया गया।

6.1 प्रतिवादी संख्या 2 के बचाव के संबंध में, विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी चंचल द्वारा प्रस्तुत आयकर रिटर्न अन्य स्रोतों से आय दर्शाता है। प्रतिवादी संख्या 2 का दावा है कि यह आय विवरण उसके पति/पिता द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया था, जबकि वह किसी भी काम या व्यवसाय में संलग्न नहीं है। फ़ाइल पर ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है जो दर्शाता हो कि प्रतिवादी किसी भी रोजगार, व्यवसाय या ट्यूशन में संलग्न है। इसी तरह, दूसरी प्रतिवादी गुंजन, याचिकाकर्ता की नाबालिग बेटी होने के नाते, अपने पिता से भरण-पोषण प्राप्त करने का कानूनी अधिकार रखती है।

5.2 दोनों पक्षों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने के बाद, विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी (प्रशांत) एक बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी है, और जुलाई 2023 के लिए उसकी वेतन पर्ची 73,226.34 रुपये प्रति माह की सकल आय दर्शाती है। इसलिए, वह खुद, अपनी पत्नी और अपनी नाबालिग बेटी गुंजन का भरण-पोषण करने में सक्षम है। यह नोट किया गया कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के पास अन्य दायित्व भी हैं।

परिणामस्वरूप, विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने निर्देश दिया कि पक्षों की आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, पति - प्रशांत, याचिकाकर्ता चंचल को उसके अंतरिम भरण-पोषण के लिए 8,000/- रुपये प्रति माह और उनकी बेटी गुंजन के अंतरिम भरण-पोषण के लिए 5,000/- रुपये प्रति माह, कुल मिलाकर 13,000/- रुपये अंतरिम भरण-पोषण भत्ते के रूप में देगा।

7. विद्वान पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश का अवलोकन करने के बाद, मेरा विचार है कि न तो कानून में कोई अनियमितता है और न ही तथ्यों में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। किसी भी मामले में, आदेश प्रकृति में अंतरिम है और दोनों पक्षों के अधिकारों का अंतिम रूप से उचित चरण में तभी निर्धारण किया जाएगा जब उन्हें अपने-अपने तर्कों के समर्थन में सामग्री लाने का अवसर दिया गया हो और इस आधार पर भी इस चरण में कोई हस्तक्षेप उचित नहीं है।

8. कहने की ज़रूरत नहीं है कि पति कानूनी तौर पर अपनी पत्नी की आर्थिक भलाई सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। कानूनी दायित्वों से परे, अपनी पत्नी और उसके साथ रहने वाली बेटी का भरण-पोषण करना एक नैतिक कर्तव्य है। सामाजिक अपेक्षाएँ पति पर अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने की ज़िम्मेदारी डालती हैं, खासकर तब जब उसके पास भरण-पोषण के स्वतंत्र साधन न हों। प्रतिवादी को अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने और पति की आर्थिक और

सामाजिक स्थिति के अनुरूप जीवन स्तर बनाए रखने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है।

9. अंतरिम भरण-पोषण सुनिश्चित करने से समानता और निष्पक्षता बढ़ती है, जिससे मामले के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी/पत्नी को होने वाली अनावश्यक कठिनाई से बचा जा सकता है। उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह गरीबी में रहे या अपने माता-पिता और/या परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहे।

10. विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने सही टिप्पणी की है कि याचिकाकर्ता द्वारा भरण-पोषण का भुगतान करने में असमर्थता के संबंध में ऐसे प्रश्नों का निर्णय दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने के पश्चात ही किया जा सकता है। इस स्तर पर, यह देखना आवश्यक है कि क्या पक्षों के बीच हुआ अलगाव जानबूझकर किया गया है या परिस्थितियों के कारण मजबूरी में किया गया है, ताकि पत्नी और नाबालिग बच्चे के लिए अंतरिम भरण-पोषण के भुगतान के लिए पात्रता निर्धारित की जा सके।

11. अभिलेख पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, जिससे पता चले कि प्रतिवादी संख्या 2 की अपनी कोई आय है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस स्तर पर गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना और पक्षों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को 13,000/- रुपये (क्रमशः 8000/- रुपये और 5000/- रुपये) का मासिक अंतरिम भरण-पोषण प्रदान करने का निर्देश देने वाला आक्षेपित आदेश न्यायसंगत और उचित प्रतीत होता है।

12. इस आधार पर हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

13. खारिज।

14. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।